170/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0–3-15
क्रमांक 170/2017
आरबीई स0–37/2017
सं0 ई/9/18/भाग–1/चार

दिनांक 25–08–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश-भारतीय रेलों के रेलपथ मेंटेनरों को जोखिम तथा कठिनाई भत्ता प्रदान करने से सम्बन्धित निर्णय।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पीसी–VII/2017/I/7/5/4 दिनांक 10.08.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

25.08.17

(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

25.08.17

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

R- 201

2
170/2017

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

PC-VII No. 33
RBE No.: 87/2017

File No. PC-VII/2017/I/7/5/4

New Delhi, dated: 10/ 08/2017

The General Manager/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units,
(As per mailing list)

Sub: - Recommendation of 7th Central Pay Commission – Decision relating to grant of Risk and Hardship Allowance for Track Maintainers of Indian Railways.

Consequent upon the acceptance of recommendation of 7th Central Pay Commission on Allowances, the President is pleased to decide grant of Risk and Hardship Allowance to Track Maintainers - I, II, III & IV of Indian Railways as per cell R3H2 (Rs. 2700 for Level 8 and below and Rs. 3400 for Level 9 and above) of Risk and Hardship Matrix.

2. These orders shall take effect from 1st July, 2017.

4. Hindi version is attached herewith.

(Jaya Kumar G)
Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board

File No. PC-VII/2017/I/7/5/4

New Delhi, dated: /08/2017

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

File No. PC-VII/2017/I/7/5/4

New Delhi, dated: 10/08/2017

Copy forwarded to :-

1. PFAs, All Indian Railways, PUs, NFR(Const)
2. The Principal, National Academy of Indian Railways, Vadodara.
3. The General Manager, CORE/Allahabad
4. The Director General, RDSO, Lucknow,
5. The General Manager and PFA, Metro Railway
6. The CAO and PFA, COFMOW/New Delhi
7. The CAO(Const), MTP(R)/Mumbai
8. The CAO(MTP(R) Chennai
9. The Director, CAMTECH/Gwalior

170/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) /(RAILWAY BOARD)

Ch.09/Rulings 23/8

पीसी-VII सं. 33
आरबीई सं. 87/2017

सं.पीसी-VII/2017/I/7/5/4

नई दिल्ली, दिनांक 10 .08.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश- भारतीय रेलों के रेलपथ मैंटेनरों को जोखिम तथा कठिनाई भत्ता प्रदान करने से संबंधित निर्णय।

भत्तों के संबंध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने जोखिम तथा कठिनाई मैट्रिक्स के सैल आर3एच2 के अनुसार भारतीय रेलों के रेलपथ मैंटेनरों -I/II/III एवं IV को जोखिम तथा कठिनाई भत्ता (लेवल 8 और इससे नीचे के लेवल के लिए ₹ 2700/- और लेवल 9 और उससे ऊपर के लेवल के लिए ₹ 3400/-) सहर्ष प्रदान करने का निर्णय लिया है।

2. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

(जय कुमार जी)
उप निदेशक, वेतन आयोग-VII
रेलवे बोर्ड